

# अधिकारों की पहचान और पहुंच

## किशोर बालक एवं बालिकाओं के लिए सरकारी योजनाएं



बजट अध्ययन राजस्थान केंद्र  
(आस्था की इकाई)



# अधिकारों की पहचान और पहुंच

## किशोर बालक एवं बालिकाओं के लिए सरकारी योजनाएं



**बजट अध्ययन राजस्थान केंद्र**  
(आस्था की इकाई)

प्लॉट नं. -२, रूप नगर, हरि मार्ग, सिविल लाइन्स, जयपुर, राजस्थान, भारत- 302006

फोन / फ़ैक्स - 0141- 2740073

E-Mail : [info@barcjaipur.org](mailto:info@barcjaipur.org) | Website: [www.barcjaipur.org](http://www.barcjaipur.org)

# अधिकारों की पहचान और पहुंच

किशोर बालक एवं बालिकाओं के लिए सरकारी योजनाएं

अध्ययन एवं शोध :

मिताली सोनी

सकील खान

सलाहकार :

नेसार अहमद

महेन्द्र सिंह राव

मई, 2022

अध्ययन, शोध एवं प्रशिक्षण उद्देश्य हेतु इस पुस्तिका का उपयोग सन्दर्भ के साथ किया जा सकता है।

प्रकाशक :

बजट अध्ययन राजस्थान केंद्र

(आस्था की इकाई)

## प्रस्तावना


किशोर उम्र के बालक और बालिकाओं (10-19 वर्ष) की अपनी समस्याएं और कुछ अलग जरूरतें होती हैं। बढ़ती उम्र में उन्हें विशेष खान पान और पोषण की आवश्यकता होती है तो साथ ही उनके शरीर में हो रहे बदलावों, पढ़ाई और कैरियर की चिंताओं, समाज, परिवार एवं साथियों की अपेक्षाओं के भार से भी दो चार होना पड़ता है। इन सब का नतीजा कई बार किशोरों को मानसिक तनाव और अवसाद के रूप में भी देखने को मिलता है। इसलिये किशोर उम्र के बच्चों को एक वर्ग के रूप में देखने और उनके लिये नीतियां और योजनाएं बनाने की आवश्यकता है।


सरकारों द्वारा इस दिशा में कुछ प्रयास किये जा रहे हैं। इस पुस्तिका में हमने केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा किशोरों के लिये चलायी जा रही योजनाओं को एकत्रित कर उन पर कुछ बुनियादी जानकारी मुहैया कराई है जिससे इन योजनाओं का लाभ किशोरों तक पहुंच सके।

आशा है कि यह पुस्तिका किशोर उम्र के बच्चों के साथ कार्य कर रही संस्थाओं और कार्यकर्ताओं को उपयोगी लगेगी।


हम इस पुस्तिका पर आपके सुझावों एवं टिप्पणियों का स्वागत करते हैं।

नेसार अहमद  
समन्वयक  
बार्क, आस्था





विषय -सूची	पृष्ठ संख्या
○ प्रस्तावना	(i)
○ विषय सूची	(ii)
○ बाल अधिकार	1-2
○ अस्तित्व का अधिकार	
○ संरक्षण का अधिकार	
○ भागीदारी का अधिकार	
○ विकास का अधिकार	
○ भारत में किशोरों की स्थिति	3
○ राज्य में लागू किशोर बालक एवं बालिकाओं के लिए योजनाएं	4-16
○ अस्तित्व के अधिकार से सम्बंधित योजनाएं	
○ विकास के अधिकार से सम्बंधित योजनाएं	
○ संरक्षण के अधिकार से सम्बंधित योजनाएं	
○ भागीदारी के अधिकार से सम्बंधित योजनाएं	
○ राज्य सरकार की योजनाएं	17-24



## 1. बाल अधिकार

### बाल अधिकार क्या है ?


बाल अधिकारों पर यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन दी राइट्स ऑफ चाइल्ड (UNCRC) को 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा स्वीकारा गया था। औपचारिक रूप से भारत सरकार ने यूएनसीआरसी को 11 दिसंबर, 1992 को अपनाया। कन्वेंशन द्वारा, प्रत्येक व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, उसे बच्चे के रूप में परिभाषित किया है। कन्वेंशन बच्चे को एक व्यक्ति के रूप में, एक परिवार और समुदाय के सदस्य के रूप में, उसकी उम्र और विकास की स्थिति के अनुसार उपयुक्त अधिकार और जिम्मेदारियों के साथ एक दिशा प्रदान करता है। बाल अधिकार गैर-भेदभाव के सिद्धांत पर आधारित है और सुनिश्चित करता है कि सभी कार्य बच्चों के सर्वोत्तम हित में हों। कन्वेंशन के 54 अनुच्छेद हैं, जिनमें बच्चों को 41 विशेष अधिकार दिये गये हैं, जिन्हे चार प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है:


**अस्तित्व का अधिकार :** बच्चे के अस्तित्व का अधिकार बच्चे के जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है। भारत सरकार के अनुसार बच्चे का जीवन गर्भधारण के बीस सप्ताह के बाद शुरू होता है। इसलिए जीवित रहने के अधिकार में जन्म लेने का अधिकार, भोजन, आश्रय और वस्त्र के न्यूनतम मानकों का अधिकार के साथ सम्मान के साथ जीने का अधिकार शामिल हैं।

**संरक्षण का अधिकार :** भारत में बच्चों की सुरक्षा के लिए अनेक कानून हैं और बाल सुरक्षा को सामाजिक विकास के मुख्य घटक के रूप में तेजी से स्वीकार किया जा रहा है। यह अधिकार सुनिश्चित करता है कि बच्चों को हर तरह की हिंसा से बचाया जाये, उपेक्षा से सुरक्षित किया जाये, शारीरिक और यौन शोषण से बचाया जाये तथा खतरनाक दवाओं से सुरक्षित रखा जाए।

**भागीदारी का अधिकार :** यह अधिकार हर बच्चे को किसी भी प्रकार का निर्णय लेने में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है, जिसमें वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल है। बच्चों की उम्र व परिपक्वता के अनुसार भागीदारी के अलग-अलग अवसर होते हैं।

**विकास का अधिकार :** इस अधिकार में पौष्टिक भोजन, आंगनवाड़ी/ शाला पूर्व शिक्षा, गुणवत्ता युक्त शिक्षा, उचित देखभाल, व्यावसायिक शिक्षा, खेल व मनोरंजन, अवकाश, मित्र, सामाजिकरण के लिए सुअवसर प्रदान करना आदि अधिकार शामिल हैं। बचपन का शुरूआती समय काफी महत्वपूर्ण होता है और उसका असर जीवन भर रहता है। जन्म के बाद शिशु का मस्तिष्क तेजी से विकसित होता है और उसका शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्मक स्वास्थ्य, सीखने की क्षमता और वयस्क होने पर उसकी कमाने की क्षमता और सफलता इसी पर निर्भर करती है।





भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ जिसमें भी कई प्रकार के बाल अधिकारों का प्रावधान है। संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21(a) जोड़ा गया जिसमें 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान किये जाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 24(a) बच्चों को 14 वर्ष की आयु तक किसी भी खतरनाक रोजगार से सुरक्षित रहने का अधिकार देता है। भारत ने यूएनसीआरसी को तो अपनाया हुआ है साथ ही भारतीय संविधान में बाल संरक्षण एवं कल्याण के लिए कई प्रावधान हैं। जिनमें से कुछ प्रमुख प्रावधान निम्न हैं :

**पॉक्सो अधिनियम, 2012**– लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रन फॉर्म सेक्सुअल ओपफेंसेस एक्ट, 2012) का संक्षिप्त रूप पॉक्सो है। इस अधिनियम का उद्देश्य बच्चों को उन वयस्क लोगों से बचाना है, जो उनका लैंगिक शोषण करते हैं। इस अधिनियम को 2019 में संशोधित किया गया तथा 16 अगस्त 2019 से संशोधित कानून लागू है।


**बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006**– ऐसी शादी जिसमें वर या वधु दोनों में से कोई भी नाबालिग (18 वर्ष से कम आयु की लड़की एवं 21 वर्ष से कम आयु का लड़का) हो, उस पर रोक लगाने तथा रद्द करने के लिए यह कानून बनाया गया है।

**बालश्रम (संशोधन) अधिनियम, 2016**– बालश्रम अधिनियम, 1986 को संशोधित किया गया। इसके तहत 14 साल से कम उम्र के बच्चों से मेहनत मजदूरी जैसा शारीरिक काम करवाना जुर्म माना गया। इस संशोधन के बाद 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए पारिवारिक उद्यमों में काम करने को अवैध माना गया। 14-18 वर्ष के किशोरों के लिए घोषित किए गये खतरनाक क्षेत्रों में काम करना निषेध किया गया।

**शिक्षा का अधिकार 2002**– 86वें संविधान संशोधन, 2002 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 21(डू) को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। इसके तहत 6-14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।

**किशोर न्याय अधिनियम, 2015**– जुवेनाइल अपराध में संलग्न बच्चों के देखभाल और संरक्षण के लिए किशोर न्याय अधिनियम, 2015 में संशोधन किया गया। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को नाबालिगों को नियमित अदालत ले जाने या सुधार केन्द्र ले जाने का फैसला लेने का अधिकार है। 16-18 साल के उम्र के बच्चों से अपराध होने पर उन्हें हथकड़ी नहीं लगायी जा सकती और उन्हें जेल या हवालात में नहीं भेजा जा सकता। 16 या उससे अधिक उम्र के नाबालिगों के जघन्य अपराधों में शामिल होने की स्थिति में उनके खिलाफ बालिग के हिसाब से मुदकमा चलाने का निर्णय जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ही लेगा।

**राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग**– बच्चों के लिए बने विभिन्न कानून और अधिकारों को लागू करना चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसके लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के तहत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना 5 मार्च 2007 को की गयी।







## 2. भारत में किशोरों की स्थिति

भारत दुनिया में सबसे ज्यादा युवा (किशोर) आबादी वाला देश है। यहाँ लगभग 25.3 करोड़ युवा (किशोर) निवास करते हैं। भारत में 10-19 वर्ष की आयु के किशोरों की कुल जनसँख्या में लगभग एक चौथाई हिस्सा है।<sup>1</sup> किसी भी देश का भविष्य उस देश के बच्चे होते हैं, अगर वर्तमान में बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य प्रणाली और बेहतर पोषण की व्यवस्था के साथ-साथ उनके अधिकारों की रक्षा करते हुए परिवार की समुचित व्यवस्था की जाए तो आने वाले समय में ये देश के विकास में अपनी भागदारी सुनिश्चित कर सकते हैं।

किशोर और किशोरियों को उन्हें प्रभावित करने वाले मुद्दों की जानकारी का अभाव है और उन्हें अपनी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी क्षमताओं को विकसित करने का पूरा मौका नहीं मिल पाता है। खासकर किशोरियाँ रूढ़िवादी सामाजिक मानदंडों के कारण काफी संवेदनशील हो जाती हैं जिसकी वजह से उन्हें स्वतंत्र रूप से घूमने, पढ़ने-लिखने, काम करने, सामाजिक रिश्तों, शादी करने आदि के निर्णय लेने की भी अनुमति नहीं होती है।


घरेलू जिम्मेदारियों, बाल विवाह, बाल श्रम, शिक्षा के सीमित अवसर, स्कूलों की दूरी, स्कूलों में शौचालय के नहीं होने आदि कारणों से 43 प्रतिशत लड़कियों को समय से पहले ही स्कूल छोड़ना पड़ता है। विश्व में सबसे ज्यादा बाल-विवाह भारत में होते हैं जहाँ प्रत्येक वर्ष लगभग 15 लाख लड़कियों की शादी 18 वर्ष से कम आयु में हो जाती है जो कि पूरे विश्व में होने वाले बाल-विवाह का एक तिहाई है।<sup>2</sup>

किशोरावस्था पोषण की दृष्टि से एक संवेदनशील समय होता है, जब तेज शारीरिक विकास के लिए पौष्टिक आहार की जरूरत बढ़ती है। भारत में किशोरों का एक बड़ा भाग एनीमिया (रक्त की कमी) से ग्रस्त है जिसमें 40% लड़कियाँ और 18% लड़के हैं।<sup>3</sup>

बाल संरक्षण के विभिन्न प्रावधानों के बावजूद, भी हम बाल अधिकारों के उल्लंघन के विभिन्न रूपों को देखते हैं जिनमें भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार और शोषण के खिलाफ अधिकार शामिल है। जबकि हमारे संविधान में बच्चों के लिए जो कानूनी ढांचा तैयार किया गया है उसमें बच्चों के अधिकारों की रक्षा करते हुए जीवन जीने की मूल भूत आवश्यकता को आसानी से प्राप्त करने का प्रावधान है।

भारत सरकार वर्तमान में किशोर बालक व बालिकाओं के लिए कई योजनाएं चला रही है जिनमें बाल संरक्षण के लिए नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, बाल विकास के लिए समग्र शिक्षा अभियान, सशक्तिकरण के लिए बेंटी बचाओ बेंटी पढ़ाओ आदि प्रमुख हैं। इन योजनाओं को इस मैनुअल में आगे विस्तार से समझाया गया है।

1. <https://www.unicef.org/india/hi/node/451>
2. <https://www.unicef.org/india/hi/node/306>
3. <http://rchiips.org/nfhs/inde&.shtml>



### 3. राज्य में लागू किशोर बालक एवं बालिकाओं के लिए योजनाएं

इस भाग में किशोरों के लिए लागू की गयी केंद्र प्रवर्तित योजनाओं की जानकारी दी गयी है। इन योजनाओं को बच्चों के चार प्रकार के अधिकारों में बांटा गया है। केंद्र प्रवर्तित योजनाएं ऐसी योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती हैं तथा जिनको बजट केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा मिलकर दिया जाता है।

#### अ - अस्तित्व का अधिकार से संबंधित योजनाएं

##### सशक्तिकरण संबंधी योजनाएं

##### बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

**विवरण:** इस योजना का समग्र उद्देश्य बेटियों के अस्तित्व को बचाना और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करना है। बीबीबीपी योजना के तहत केवल जागरूकता से सम्बंधित कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इसमें प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) का कोई प्रावधान नहीं है।

##### लक्ष्य

- ◆ लड़कियों के प्रति भेदभाव एवं लिंग निर्धारण परीक्षण को समाप्त करना
- ◆ लड़कियों के अस्तित्व एवं उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना
- ◆ शिक्षा एवं अन्य क्षेत्रों में लड़कियों की भागीदारी सुनिश्चित करना

**क्रियांवयन:** इस योजना का क्रियान्वयन केंद्रीय स्तर पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है, राज्य स्तर पर क्रियान्वयन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है तथा जिला स्तर पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाता है।

**निगरानी प्रणाली:** बीबीबीपी योजना की निगरानी निम्नलिखित स्तरों पर होगी:

राष्ट्रीय स्तर	राष्ट्रीय कार्य बल (National Task Force)
राज्य स्तर	राज्य कार्य बल (State Task Force)
जिला स्तर	जिला कार्य बल (District Task Force)
ब्लॉक स्तर	प्रखंड स्तरीय समिति (Block Level Committee)
ग्राम पंचायत स्तर	संबंधित पंचायत समिति (Panchayat Samiti)



**बजट अनुपात :** यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। जिले में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलेक्टर को राशि हस्तारित की जाती है। योजना का राज्य स्तरीय एम एस के (महिला शक्ति केंद्र) स्कीम के साथ है और इस योजना के लिए केंद्र तथा राज्य सरकार का बजट अनुपात क्रमशः 60 :40 का है। केंद्र एवं पूर्वोत्तर तथा विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच बजट अनुपात 90 :10 का है। केंद्र शासित प्रदेशों में योजना का क्रियान्वयन 100 प्रतिशत केंद्रीय निधि से होता है।

**आवेदन कैसे करे :** इस योजना के तहत सरकार केवल अपने स्तर पर जागरूकता अभियान चलाती है इसलिए इसके तहत कोई आवेदन नहीं लिया जाता है।

**शिकायत निवारण तंत्र :** जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता/ निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग  
**नोडल विभाग :** महिला एवं बाल विकास विभाग

### समेकित बाल संरक्षण योजना

**विवरण :** यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2009-10 में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू की गयी। यह सभी बच्चों, विशेष रूप से कठिन परिस्थिति में रहने वाले बच्चों, के समग्र कल्याण एवं पुनर्वास हेतु बाल संरक्षण की अन्य योजनाओं को सम्मिलित कर शुरू की गयी है।

**उद्देश्य :** समेकित बाल संरक्षण योजना का उद्देश्य 18 वर्ष तक के कठिन परिस्थितियों में रहने वाले देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले तथा विधि विवादित बच्चों को संरक्षण, सहायता एवं पुनर्वास प्रदान करना है। योजना के तहत प्रदेश में विभिन्न प्रकार के 142 गृह संचालित हैं, जिनमें बच्चों के लिए पोषण, शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य एवं पुनर्वास की व्यवस्था करना।

**पात्रता :** विधि विवादित, निराश्रित, बेसहारा, गुमशुदा, भीख मांगने वाले, सड़क पर निवास करने वाले, सड़क पर कचरा बीनने वाले तथा देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बच्चे।

**क्रियान्वयन :** इस योजना को मिशन मोड में लागू करने तथा योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य और जिला बाल संरक्षण समितियों को राज्य और जिला स्तर पर मौलिक इकाइयों के रूप में स्थापित किये जाने का प्रावधान है। स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी (सारा) स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन समिति के तहत एक इकाई के रूप में कार्य करेगी। ये समितियां समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत होंगी और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के समग्र निगरानी और नियंत्रण में कार्य करेगी।

**बजट अनुपात :** यह योजना एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है जिसमें केंद्र और राज्यों/ स्वयं सेवी संस्थाओं के बीच फंड शेयरिंग अनुपात इस प्रकार होगा :

- ♦ उत्तर पूर्व और जम्मू एवं कश्मीर के सभी राज्यों के लिए 90 :10 का अनुपात में होता है।
- ♦ एनजीओ की भागीदारी वाले सभी योजना घटकों के लिए 90 :10 का अनुपात जारी रहेगा।
- ♦ चाइल्डलाइन सेवाओं के लिए केंद्र द्वारा 100 प्रतिशत वित्त पोषण रहेगा।



- ◆ एनआईपीसीसीडी और उसके क्षेत्रीय केंद्रों, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी, केंद्रीय परियोजना सहायता इकाई और राज्य परियोजना सहायता इकाई जैसे भारत सरकार के तहत सभी संरचनात्मक तंत्र और सेवाओं के लिए केंद्र द्वारा 100 प्रतिशत वित्त पोषण रहेगा।
- ◆ पूर्वोत्तर और जम्मू-कश्मीर के अलावा अन्य राज्यों के लिए किशोर न्याय अधिनियम के तहत प्रावधानित नियामक निकायों के लिए 35 :65 अर्थात् किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समितियां और विशेष किशोर पुलिस इकाइयां होगी।
- ◆ पूर्वोत्तर और जम्मू-कश्मीर के अलावा अन्य राज्यों में अन्य संरचनात्मक घटकों के लिए 75 :25 का अनुपात रहता है।

यदि कोई राज्य किसी विशेष वर्ष के लिए आवंटित पूर्ण धनराशि खर्च करने में असमर्थ है तो अतिरिक्त धनराशि को मंत्रालय द्वारा किसी अन्य राज्य को पुनः आवंटित किया जाएगा।

### शिकायत निवारण तंत्र :

- ◆ राष्ट्रीय स्तर- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- ◆ राज्य स्तर - राज्य बाल संरक्षण समिति
- ◆ जिला स्तर - जिला बाल संरक्षण समिति


**नोडल विभाग :** बाल अधिकारिता विभाग

## ब - विकास का अधिकार से संबंधित योजनाएं

### शिक्षा संबंधी योजनाएं

#### समग्र शिक्षा अभियान

**विवरण :** वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट में यह घोषणा की गई थी कि स्कूली शिक्षा को समग्र रूप से और पूर्व-प्राथमिक से बारहवीं कक्षा तक बिना विभाजन के माना जाएगा और सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और शिक्षक शिक्षा (टीई) की पूर्ववर्ती केंद्र प्रायोजित योजनाओं को मिलाकर समग्र शिक्षा अभियान को शुरू किया गया। यह योजना स्कूली शिक्षा को एक सतत प्रक्रिया के रूप में मानती है और शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्य के अनुरूप है। यह योजना न केवल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए सहायता प्रदान करती है, बल्कि इसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के साथ भी जोड़ा गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी बच्चों को एक समान और समावेशी कक्षा के माहौल के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।



## उद्देश्य :

- ◆ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी) की सिफारिशों को लागू करने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता करना।
- ◆ बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन में राज्यों की सहायता करना।
- ◆ बचपन की देखभाल और शिक्षा पर जोर देना।
- ◆ मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर जोर देना।
- ◆ छात्रों के बीच 21वीं सदी के कौशल प्रदान करने के लिए समग्र, एकीकृत, समावेशी और गतिविधि आधारित पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र पर जोर देना।
- ◆ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और छात्रों के सीखने के परिणामों में बढ़ोतरी करना।
- ◆ स्कूली शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अंतर को मिटाना।
- ◆ शिक्षक प्रशिक्षण के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी)/राज्य शिक्षा संस्थान और जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डीआईटी) का सुदृढीकरण और उन्नयन।
- ◆ सुरक्षित और अनकूल शिक्षण वातावरण और स्कूली शिक्षा प्रावधानों में न्यूनतम मानकों को सुनिश्चित करना।

**पात्रता :** प्री-स्कूल से 12वीं कक्षा तक के सभी छात्र

**क्रियान्वयन :** राष्ट्रीय स्तर पर योजना का क्रियान्वयन मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता वाली शासी परिषद (Governing Council) और स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव की अध्यक्षता में परियोजना अनुमोदन बोर्ड (Project Approval Board) द्वारा किया जाता है। राज्य स्तर पर क्रियान्वयन एकल राज्य क्रियान्वयन सोसाइटी (Single State Implementation Society) द्वारा किया जाता है। विभाग को एक तकनीकी सहायता समूह (Technical Support Group), एजुकेशनल कंसल्टेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड (Educational Consultants of India Limited) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

## बजट अनुपात :

केंद्र : राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश	60 :40
केंद्र : पूर्वी राज्य तथा हिमालयी राज्य	90 :10
विधानमंडल के बिना केंद्र शासित प्रदेश	केंद्र द्वारा 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता

**शिकायत निवारण तंत्र-** राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग/राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग

**नोडल विभाग-** मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, राजस्थान।



## छात्रवृत्तियाँ

### विवरण :

छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य छात्रों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। भारत सरकार द्वारा कई छात्रवृत्ति योजनाएं संचालित की जाती हैं, जिनमें से यहाँ पाँच प्रकार की छात्रवृत्ति योजनाओं का उल्लेख किया गया है-

1. अनुसूचित जनजाति के लिए पूर्व मेट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 9वीं-10वीं)
2. अनुसूचित जाति के लिए पूर्व मेट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 9वीं-10वीं)
3. अल्पसंख्यक के लिए पूर्व मेट्रिक छात्रवृत्ति (पहली से 10वीं)
4. अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पूर्व मेट्रिक छात्रवृत्ति (6ठीं-10वीं)
5. मैला ढोने वाले बच्चों के लिए पूर्व मेट्रिक छात्रवृत्ति (पहली से 10वीं)

छात्रवृत्ति योजनाओं से संबंधित समस्त जानकारी/ विज्ञप्ति/ निर्देश आदि का प्रकाशन समय-समय पर विभागीय वेबसाईट/ राज्य के मुख्य समाचार पत्रों/ शिविरा पत्रिका में कर विद्यार्थी/ विद्यालय/जिला शिक्षा अधिकारी स्तर तक जानकारी पहुँचायी जाती है।

### उद्देश्य :

इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य विद्यालयों में ड्रॉप-आउट दर को कम करने के साथ कमजोर वर्गों के बच्चों तथा बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना है।

### निगरानी प्रणाली :

राज्य, जिला और ब्लॉक लेवल पर निगरानी हेतु सरकार द्वारा अलग-अलग अधिकारी नियुक्त किए गए हैं जैसे जिला स्तर पर अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के लिए जिला अल्पसंख्यक अधिकारी एवं अन्य छात्रवृत्तियों के लिए समाज कल्याण अधिकारी और स्कूल स्तर पर सम्बंधित स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं।



## पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियों से संबंधित जानकारी

पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति	कक्षा	बजट अनुपात		पात्रता	पारिवारिक आय मानदंड	दरें
		केंद्र(%)	राज्य(%)			
अनुसूचित जाति	9-10	60	40	छात्र अनुसूचित जाति से संबंधित होना चाहिए।	करदाता नहीं होना चाहिए	डे-स्कॉलर्स के लिए 225 रुपये प्रति माह 10 महीने के लिए एवं साल में एक बार 750 रु और हॉस्टलर्स के लिए 525 रुपये प्रति माह 10 महीने के लिए
अनुसूचित जनजाति	9-10	100	—	छात्र अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए	2 लाख रुपये या इससे कम	डे-स्कॉलर्स के लिए 225 रुपये प्रति माह 10 महीने के लिए और हॉस्टलर्स के लिए 525 रुपये प्रति माह 10 महीने के लिए
अल्पसंख्यक	9-10	100	—	जिन छात्रों ने पिछली अंतिम परीक्षा में 50ल से कम अंक प्राप्त नहीं किए हैं	1 लाख रुपये या इससे कम	हॉस्टलर्स के लिए 990 रुपये प्रति माह 10 महीने के लिए और डे स्कॉलर्स के लिए 590 रुपये प्रति माह 10 महीने के लिए
अन्य पिछड़ा वर्ग	9-10	50	50	छात्र अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित होना चाहिए।	2.5 लाख रुपये या इससे कम	डे-स्कॉलर्स के लिए (कक्षा 1-10) 100 रुपये प्रति माह 10 महीने के लिए और हॉस्टलर्स के लिए (तीसरी से 10वीं) 500 रुपये प्रति माह 10 महीने के लिए
मैला ढोने वाले बच्चे	9-10	100	—	जो व्यक्ति मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 2(l)(g) के तहत परिभाषित हैं। टैनर्स एंड फ्लायर्स व्यक्ति जो मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 2(l)(g) में परिभाषित खतरनाक सफाई कार्यों में लगे हुए हैं।	—	डे-स्कॉलर्स के लिए (पहली से 10वीं) 225 रुपये प्रति माह 10 महीने के लिए और 700 रुपये प्रति माह 10 महीने (तीसरी से 10वीं) के लिए



## आवेदन कैसे करें :

पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति	आवेदन कहां करें
अनुसूचित जाति	वेबसाइट <a href="http://www.scholarships.gov.in">www.scholarships.gov.in</a> पर ऑनलाइन आवेदन करें।
अनुसूचित जनजाति	
अल्पसंख्यक	
अन्य पिछड़ा वर्ग	
मैला ढोने वाले बच्चे	छात्रों के आवेदन हार्डकॉपी और सहायक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन जमा किए जाते हैं।

**शिकायत निवारण तंत्र :** भारत सरकार द्वारा जारी की गयी गाईडलाइन के अनुसार राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किये जायेंगे।

### नोडल विभाग :

- ◆ अनुसूचित जाति- माध्यमिक शिक्षा विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- ◆ अनुसूचित जनजाति- माध्यमिक शिक्षा विभाग, जनजातीय मामलों के मंत्रालय
- ◆ अल्पसंख्यक- अल्पसंख्यक मामलात विभाग, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
- ◆ ओबीसी- माध्यमिक शिक्षा विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- ◆ मैला ढोने वालों के बच्चे - माध्यमिक शिक्षा विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

### पोषण संबंधी योजनाएं

#### किशोरियों के लिए स्कीम (SAG)

**विवरण/उद्देश्य :** इस योजना के माध्यम से स्कूल न जाने वाली 11-14 वर्ष की किशोरी बालिकाओं (पढ़ाई छोड़ चुकी/ वो बालिकाएं जिनका अभी तक नामांकन नहीं हुआ/ नामांकन हो गया लेकिन स्कूल नहीं गयी) के शारीरिक, मानसिक एवं व्यक्तित्व विकास हेतु उन्हें औपचारिक/ अनौपचारिक शिक्षा से जोड़ते हुए सशक्त बनाना है।

**लाभ :** इस योजना के तहत किशोरियों को पोषण सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें 600 कैलोरी, 18 -20 ग्राम प्रोटीन और सूक्ष्म पोषक तत्त्व युक्त पूरक पोषण वर्ष में 300 दिनों के लिए प्रदान किये जाने का प्रावधान है।

**लाभार्थी :** इस योजना में 11-14 वर्ष आयु वर्ग की स्कूल छोड़ चुकी लड़कियां शामिल हैं।

**बजट अनुपात :** केंद्र तथा राज्य पूरक पोषण के खर्च को 50 :50 के अनुपात में वहन करेंगे। इसके अलावा आठ पूर्वोत्तर राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम) और तीन विशेष श्रेणी के हिमालयी राज्यों (हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर तथा उत्तराखंड) तथा केंद्र सरकार के बीच यह अनुपात 90 :10 है।





**निधि प्रवाह :** महिला एवं बाल विकास मंत्रालय केन्द्रीय स्तर पर स्कीम के बजटीय नियंत्रण एवं संचालन के लिए जिम्मेदार होगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा राज्यों एवं संघीय प्रदेशों क्षेत्रों को निधियां दो किशतों में जारी की जाएगी। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्कीम के लिए निर्धारित निधियन पद्धति के अनुसार राज्य का हिस्सा सुनिश्चित करेंगे और भारत सरकार/राज्य सरकार (राज्य के हिस्से के लिए) से निधियों की प्राप्ति से 15 दिन की अवधि के भीतर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से प्राप्त निधि और राज्य का हिस्सा संबंधित डीपीओ को जारी करेंगे।

**क्रियान्वयन :** स्कीम का कार्यान्वयन मौजूदा समेकित बाल विकास योजना (आईसीडीएस) स्कीम के तहत संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से किया जाता है।

**आवेदन कैसे करे :** किशोरी बालिकाओं को आंगनवाड़ी केंद्र/आंगनवाड़ी चिकित्सा अधिकारी/ सहायक नर्स दाई के पास जाकर संबंधित कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करके भरना होगा।

**शिकायत निवारण तंत्र :** केन्द्रीय स्तर पर सचिव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, राज्य स्तर पर सचिव महिला एवं बाल विकास/समाज कल्याण विभाग, जिला स्तर पर जिला कलेक्टर/ जिला कार्यक्रम अधिकारी, ग्राम स्तर पर आईसीडीएस पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी है।


**नोडल विभाग-** महिला एवं बाल विकास विभाग


## स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं

### राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम

**विवरण :** किशोरों के स्वास्थ्य एवं विकास की जरूरतों को ध्यान में रखकर भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 7 जनवरी 2014 को राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर.के.एस.के.) शुरू किया गया। किशोरावस्था, बचपन एवं युवावस्था के बीच का महत्वपूर्ण पड़ाव है जिसमें बच्चों में कई शारीरिक एवं मानसिक बदलाव होते हैं। यह योजना राज्य के कुछ चुने हुए जिलों में लागू है जिनमें बांसवाड़ा, बाड़मेर, बूंदी, धौलपुर, डूंगरपुर, जैसलमेर, जालौर, उदयपुर, राजसमंद, करौली हैं।

**उद्देश्य :** इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किशोर बालक-बालिकाओं के स्वास्थ्य सुधार करने के साथ इनके पोषण, यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य, गैर-संक्रामक बिमारियों, चोटें एवं हिंसा (लैंगिक हिंसा सहित), नशीले पदार्थों का दुरुपयोग, मानसिक स्वास्थ्य आदि पर ध्यान देना है।





**लाभ :** पोषण में सुधार, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य में सुधार, मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि, चोट और हिंसा को रोकना, गलत पदार्थ के दुरुपयोग पर नियंत्रण।

**पात्रता :** यह कार्यक्रम ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में 10-19 वर्ष आयु वर्ग के सभी लड़के एवं लड़कियों को कवर करता है। विद्यालय जाने वाले एवं विद्यालय से बाहर सभी किशोर-किशोरियां, चाहे वे विवाहित हों या अविवाहित, इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किये जाते हैं।

**बजट प्रवाह :** इस कार्यक्रम के अंतर्गत बजट राशि के प्रवाह एवं हस्तांतरण की प्रक्रिया को देखा जाये तो केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के कोषागार को हस्तांतरित की जाती है। इसके बाद राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को कोषागार द्वारा बजट आवंटित किया जाता है। इसके बाद विभाग द्वारा राज्य स्वास्थ्य समिति को बजट आवंटित किया जाता है। राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति एवं कार्यकारी विभागों/कार्यकारी एजेंसियों को बजट हस्तांतरित किया जाता है।

जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा अलग-अलग गतिविधियों एवं कार्यों के क्रियांवयन हेतु ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई सम्बंधित कार्यकारी एजेंसियों - स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र/ग्राम स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता समिति/लाभावित को बजट राशि आवंटित करती है।


**क्रियांवयन :** राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम एक केन्द्र सरकार का कार्यक्रम है एवं केन्द्रीय स्तर पर इसके क्रियांवयन का नोडल विभाग- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है। राज्य स्तर पर इस कार्यक्रम का क्रियांवयन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा किया जाता है।

**बजट अनुपात :** केन्द्र एवं राज्य सरकार का बजट अनुपात क्रमशः 75 :25 रहता है।

**आवेदन कैसे करे :** जिला अस्पताल में इसका केंद्र होता है।

**शिकायत निवारण तंत्र :** केन्द्रीय स्तर पर किशोर स्वास्थ्य विभाग एवं तकनीकी सहायता इकाई होती है। राज्य स्तर पर किशोर स्वास्थ्य राज्य समिति, जिला स्तर पर किशोर स्वास्थ्य जिला समिति एवं ग्राम स्तर पर ग्राम स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता समिति की जिम्मेदारी है।

**नोडल विभाग-** चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग





## मासिक धर्म स्वच्छता योजना (एमएचएस)

**विवरण :** राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 2011 में किशोर प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य (एआरएसएच) के भाग के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में 10-19 वर्ष के आयु समूह की किशोरियों में मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की गई। केंद्रीय सरकार की यह योजना कई राज्यों में अलग अलग नाम से चलाई जाती है जिसमें कुछ तो केंद्र की वित्तीय सहायता से चलायी जाती है और कुछ पूरी तरह से राज्य पोषित होती हैं।

**उद्देश्य :** किशोरियों में मासिक धर्म स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना।

- ◆ ग्रामीण क्षेत्रों में किशोरियों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले सैनिटरी नैपकिन तक पहुंच और उपयोग को बढ़ावा देना।
- ◆ पर्यावरण के अनुकूल तरीके से सैनिटरी नैपकिन का सुरक्षित डिस्पोजल सुनिश्चित करना।


**बजट अनुपात :** सेनेटरी नैपकिन के एक पैकेट (6 नैपकिन वाला पैकेट) के लिए एनएचएम फण्ड द्वारा सभी प्रकार के करों एवं यात्रा व्यय को मिला कर अधिकतम 12 रु की सहायता राशि दी जाती है। इसके अलावा एक पैकेट नैपकिन (6 नैपकिन वाला पैकेट) के लिए 12 रु से अतिरिक्त किसी भी प्रकार का अन्य व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

**क्रियान्वयन :** राज्य में एमएचएस के क्रियान्वयन के लिए निम्न प्रकार के ढांचे का प्रावधान किया है :

- ◆ आशा कार्यकर्ता द्वारा घर-घर जाकर तथा साथ ही स्कूल एवं आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से किशोरियों को 6 रुपए में 6 सेनेटरी नैपकिन का पैक वितरित किया जाता है।
- ◆ बिक्री से प्राप्त आय से आशा को प्रति पैक 1 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलती है, साथ ही प्रति माह सैनिटरी नैपकिन का मुफ्त पैक भी मिलता है।
- ◆ बिक्री की आय के बाद एकत्रित की गयी धनराशि का उपयोग निम्न तरह किया जा सकता है :
  - आशा द्वारा नैपकिन वितरण के दौरान की गयी यात्रा व्यय का भुगतान और सैनिटरी नैपकिन के स्टोरेज के लिए किराये की लागत (यदि कोई हो) का भुगतान।
  - किशोरियों के साथ स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर मासिक बैठक आयोजित करने के लिए आशा को प्रोत्साहन राशि के रूप में 50 रुपये का भुगतान।
- ◆ शेष राशि राज्य स्वास्थ्य समिति के खाते में जमा की जाती है जिसका उपयोग आगामी वर्ष में नैपकिन खरीदने के लिए किया जाएगा।

**शिकायत निवारण तंत्र :** सहायक नर्स दार्ई (ANM)

**नोडल विभाग-** महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय





## स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम

**विवरण :** वर्ष 2018 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयुष्मान भारत के तहत 'स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम (School Health Programme) की शुरुआत की गयी। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा, 2005 का अनुसरण करते हुए स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (Department of School Education & Literacy) किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम (Adolescence Education Programme) को कार्यान्वित कर रहा है।

### उद्देश्य :

- ◆ स्कूलों में बच्चों को स्वास्थ्य और पोषण के बारे में उचित जानकारी प्रदान करना।
- ◆ बच्चों के बीच स्वास्थ्य व्यवहार को बढ़ावा देना।
- ◆ कुपोषित और एनिमिया से पीड़ित बच्चों की पहचान करना तथा बच्चों व किशोरों में रोगों का जल्द पता लगाकर, उनका इलाज करना।
- ◆ स्कूलों में सुरक्षित पेयजल के उपयोग को बढ़ावा देना।
- ◆ स्वास्थ्य और कल्याण के माध्यम से योग तथा ध्यान को बढ़ावा देना।

**पात्रता :** सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राएं।


**क्रियान्वयन :** राष्ट्रीय स्तर, पर MoHFW और MHRD की सह-अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय स्तर समन्वय समिति होती है जो नीति निर्माण, तकनीकी सहायता, कार्यक्रम की योजना बनाने, कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (PIP) के तहत बजट आवंटन सहित, प्रशिक्षण के लिए संसाधन सामग्री प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है।

राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय समिति में स्वस्थ्य तथा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जायेगा और महिला एवं बाल विकास पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, पंचायत राज विभाग के सचिव समिति सदस्य होंगे।

जिला स्तर पर, जिला स्तरीय समन्वय समिति कार्यक्रम की प्रगति को क्रियान्वित एवं मोनीटर करती है तथा मार्गदर्शन प्रदान करती है। कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा के लिए समिति की त्रैमासिक बैठक का प्रावधान है।

ब्लॉक स्तर पर, समन्वय समिति कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करती है।

**नोडल विभाग :** प्रारंभिक शिक्षा, स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण और मानव मंत्रालय संसाधन विकास



## स - संरक्षण का अधिकार से संबंधित योजनाएं

### सशक्तिकरण सम्बंधित योजनाएं

#### राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (NCLP)

**विवरण:** केंद्र सरकार द्वारा 1988 में कामकाजी बच्चों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) योजना शुरू की गयी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बाल श्रम के मुद्दों से निपटने व खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में काम कर रहे बच्चों के पुनर्वास पर जोर देना है।

#### उद्देश्य : योजना का मुख्य उद्देश्य :

- ◆ 9-14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को बाल श्रम से हटाकर परियोजना के तहत स्थापित विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में रखना।
- ◆ विशेष स्कूल/पुनर्वास केंद्र में निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जाती है :
  - अनौपचारिक ब्रिज शिक्षा
  - कुशल व्यावसायिक प्रशिक्षण
  - मिड डे मील
  - 150 रुपये प्रति बच्चा प्रति माह
  - 20 स्कूलों के समूह के लिए नियुक्त चिकित्सक के माध्यम से हेल्थ केयर सुविधाएं।

**बजट अनुपात :** इस परियोजना का संपूर्ण वित्त पोषण व्यय केंद्र सरकार (श्रम और रोजगार मंत्रालय) द्वारा किया जाता है। परियोजना गतिविधियों की प्रगति के आधार पर संबंधित परियोजना समितियों को निधियां जारी की जाती हैं।

#### क्रियान्वयन :

- ◆ इस परियोजना को नागर समाज या स्वयंसेवी संस्थाओं, राज्य और जिला प्रशासन के संयुक्त सहयोग से सफलतापूर्वक लागू किया गया है।
- ◆ इस परियोजना का क्रियान्वयन एक पंजीकृत सोसायटी द्वारा किया जाता है जिसका अध्यक्ष जिले का प्रशासनिक प्रमुख (जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/जिले के उपयुक्त) होता है। समिति के सदस्य संबंधित सरकारी विभागों, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों, गैर सरकारी संगठनों, ट्रेड यूनियनों आदि से लिए जा सकते हैं।

**शिकायत निवारण तंत्र :** केंद्रीय निगरानी समिति/राजकीय निगरानी समिति/विजिलेंस मॉनिटरिंग समिति।

**नोडल विभाग :** श्रम एवं शिक्षा विभाग, श्रम और रोजगार मंत्रालय



## द - भागीदारी का अधिकार से संबंधित योजनाएं

### मीना राजू मंच

**विवरण :** समग्र शिक्षा अभियान के कई घटक हैं, उनमें से एक लैंगिक समानता है जिसे बढ़ावा देने के लिए यह योजना शुरू की गयी है। इसके तहत स्कूलों में कई कार्यक्रम होते हैं। मीना राजू मंच भी उनमें से एक है जिसका उद्देश्य लड़कियों में जागरूकता बढ़ाना और संवाद शुरू करने के अवसर प्रदान करना है।

**उद्देश्य :** मीना राजू मंच का उद्देश्य बालिकाओं को आगे बढ़ने के लिए विद्यालयों में उचित एवं विशेष अवसर देना है, जिससे उनमें आत्मविश्वास बढ़े, जीवन कौशल का विकास हो, नेतृत्व क्षमता बढ़े और सामाजिक मसलों पर अपने स्वयं के विचार रख सके तथा सबसे अहम यह कि बाधा रहित रूप से अपनी विद्यालय शिक्षा पूरी कर सके।

**क्रियान्वयन :** मीना राजू मंच (Meena Manch) में विद्यालय की समस्त बालिकाएं एवं बालक सदस्य होते हैं। अतः इसके द्वारा मीना राजू मंच द्वारा आयोजित की जाने वाली चर्चाओं और गतिविधियों में समस्त बच्चे मंच के नेतृत्व में हिस्सा लेंगे। विद्यालय की किसी एक महिला शिक्षिका को इसके संचालन की जिम्मेदारी सौंपी जाती है जो कि सुगमकर्ता कहलाती है। सुगमकर्ता मीना राजू मंच की गतिविधियों का संचालन स्वयं नहीं करेगी बल्कि बालिकाओं को मार्गदर्शन देगी, जिससे बालिकाएं स्वयं के स्तर पर गतिविधियों का संचालन कर सकें। महिला अध्यापिका की अनुपस्थिति में ही पुरुष अध्यापक को सुगमकर्ता की जिम्मेदारी दी जाती है, किंतु पुरुष सुगमकर्ता होने की स्थिति में प्रत्येक 2 माह में आवश्यक रूप से किसी अध्यापिका या महिला अधिकारी या महिला कार्यकर्ता की विद्यालय में निगरानी विजिट आवश्यक है ताकि बालिकाएं विशेष मुद्दों पर खुलकर बात कर सकें। विद्यालय में मीना मंच बनाए जाने के बाद यह स्थाई मंच रहेगा जिसका संचालन प्रत्येक वर्ष होगा और संचालन की प्रक्रिया भी निर्देशानुसार ही रहेगी।

**शिकायत निवारण तंत्र :** महिला अध्यापिका, प्रधानाध्यापक

**नोडल विभाग :** स्कूल शिक्षा विभाग, (राजस्थान)

## 4. राज्य सरकार की योजनाएं

इस भाग में अलग-अलग राज्यों में राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही किशोरों से सम्बंधित कुछ योजनाओं का विवरण दिया गया है।

### शिक्षा सम्बंधित योजना

#### छात्रवृत्तियाँ (राजस्थान)

**विवरण:** केंद्र एवं राज्य सरकार राज्य के सरकारी एवं निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को विभिन्न छात्रवृत्ति प्रदान करती है। ये छात्रवृत्ति योजनाएं केंद्र सरकार स्वयं एवं राज्य सरकार के माध्यम से प्रदान करती है। समाज के हाशिए के विभिन्न वर्गों के बच्चों को प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्तियों में प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति शामिल है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर स्कूल शिक्षा विभाग के तहत राजस्थान में निम्नलिखित प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है:

**उद्देश्य:** ड्रॉप-आउट दर को कम करने के लिए कमजोर वर्गों के बच्चों के माता-पिता विशेष रूप से बालिकाओं की शिक्षा का समर्थन करना।


राज्य में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कक्षा 6-8 तक के छात्र-छात्राओं के लिए संचालित प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं का विवरण निचे तालिका में दिया गया है

पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति	कक्षा	पात्रता	पारिवारिक आय मानदंड	दरें
अनुसूचित जाति	6-8	छात्र/ छात्रा अनुसूचित जाति का होना चाहिए	आयकर दाता न हो	छात्र के लिए 75 रूपए प्रतिमाह 10 महिने के लिए और छात्रा के लिए 125 रूपए प्रतिमाह 10 महिने के लिए
अनुसूचित जनजाति	6-8	छात्र/ छात्रा अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए	आयकर दाता न हो	छात्र के लिए 75 रूपए प्रतिमाह 10 महिने के लिए और छात्रा के लिए 125 रूपए प्रतिमाह 10 महिने के लिए

**नोडल विभाग:** अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति - स्कूली शिक्षा विभाग

#### शिक्षा सेतु योजना (राजस्थान)

**विवरण/उद्देश्य:** वर्ष 2019-20 में शुरू की गयी इस योजना का उद्देश्य विद्यालयों से ड्रॉपआउट हो चुकी बालिकाओं तथा किसी कारणवश औपचारिक शिक्षा से वंचित महिलाओं एवं बालिकाओं को महिला एवं बाल विकास विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों के माध्यम से प्रोत्साहित करवाकर उन्हें राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के माध्यम से माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा से जोड़ना है, ताकि उनकी क्षमता में बढ़ोतरी हो सके तथा उन्हें आजीविका के बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकें।



**पात्रता :** विद्यालय से ड्रॉप आउट हो चुकी बालिकाएं

**लाभ :** ऐसी बालिकाएं जो विद्यालय से ड्रॉपआउट हो चुकी हैं या किसी कारणवश औपचारिक शिक्षा से वंचित हों, वे अपनी शिक्षा फिर से जारी कर सकती हैं।

**आवेदन कहा करें :** स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर के पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।

**नोडल विभाग :** महिला एवं बाल विकास विभाग

### मुख्यमंत्री राजश्री योजना ( राजस्थान )

**विवरण/उद्देश्य :** वर्ष 2016-17 में राज्य सरकार द्वारा यह योजना बेटियों की जन्म दर बढ़े, बेटियों को अच्छी परवरिश मिले एवं उनके स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक स्तर में सुधार के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत 01 जून 2016 या उस के बाद जन्म लेने वाली बालिकाएं लाभ की पात्र होगी।

**पात्रता :** बालिकाएं जिनका जन्म किसी सरकारी अस्पताल एवं जननी सुरक्षा योजना (जे.एस.वाई.) से पंजीकृत निजी चिकित्सा संस्थानों में हुआ हो।


**योजना अंतर्गत उपलब्ध सेवायें :** इस योजनान्तर्गत बालिका के जन्म से लेकर कक्षा 12वीं तक बेटि की पढ़ाई, स्वास्थ्य व देखभाल के लिए अभिभावक को 50,000 रु तक की आर्थिक सहायता बैंक के माध्यम से प्रदान की जाती है, ये राशि निम्न चरणों में दी जाती है।

चरण	राशि
बेटी के जन्म पर	2500 रु
एक वर्ष का टीकाकरण होने पर	2500 रु
पहली कक्षा में प्रवेश लेने पर	4000 रु
कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर	5000 रु
कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर	11,000 रु
कक्षा 12 उत्तीर्ण करने पर	25,000 रु

**आवेदन कहां करें :** जिले में कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता या मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से सम्पर्क करें।

**शिकायत निवारण तंत्र :** सम्बंधित जिला कलेक्टर

**नोडल विभाग :** महिला एवं बाल विकास







## मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना (बिहार)

**विवरण :** मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, कन्याओं के जन्म, पंजीकरण एवं संपूर्ण टीकाकरण को प्रोत्साहित करना, लिंग अनुपात में वृद्धि लाना, बालिका शिशु मृत्यु दर को कम करना, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, बाल विवाह पर अंकुश लगाना और कुल प्रजनन दर में कमी लाना है। इसके साथ ही बालिकाओं को शिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाना, सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने के अवसर प्रदान करना तथा परिवार एवं समाज में उनके आर्थिक योगदान को बनाना भी इस योजना के लक्ष्य हैं।

**पात्रता :** अविवाहित कन्या

**लाभ :** 12वीं पास करने पर प्रत्येक लड़की को 10 हजार रुपये तथा स्नातक करने पर 25 हजार रुपये दिए जाते हैं।

**आवेदन :** इस योजना का ऑनलाइन माध्यम से आवेदन किया जाता है जिसका लिंक यह है -  
<http://edubt.bih.nic.in>

## मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना (उत्तर प्रदेश)

**विवरण :** सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक और पारिवारिक परिस्थितियां महिलाओं और बालिकाओं के लिए प्राचीन से भेदभाव पूर्ण रही हैं। समाज में प्रचलित कुरीतियां एवं भेद-भाव जैसे : कन्या भ्रूण हत्या, असमान लिंगानुपात, बाल विवाह एवं बालिकाओं के प्रति परिवार की नकारात्मक सोच जैसी विषम परिस्थितियों के कारण प्रायः बालिकाएं/महिलायें अपने जीवन, संरक्षण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसे मौलिक अधिकारों से वंचित रह जाती हैं। इसको ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना शुरू की गयी है।

**पात्रता :** लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो तथा उसके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो। इसके लिए राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, विद्युत, टेलीफोन का बिल मान्य होगा।

- ◆ लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख रु हो।
- ◆ किसी परिवार की अधिकतम दो ही बच्चियों को योजना का लाभ मिल सकेगा।
- ◆ किसी महिला को द्वितीय प्रसव से जुड़वा बच्चे होने पर तीसरी संतान के रूप में लड़की को भी लाभ मिलेगा। यदि किसी महिला को पहले प्रसव से बालिका है व द्वितीय प्रसव से दो जुड़वा बालिकायें ही होती हैं तो केवल ऐसी अवस्था में ही तीनों बालिकाओं को लाभ मिलेगा।
- ◆ यदि किसी परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया हो, तो परिवार की जैविक संतानों तथा विधिक रूप से गोद ली गयी संतानों को सम्मिलित करते हुये अधिकतम दो बालिकाएं इस योजना की लाभार्थी होंगी।



## आवेदन करने की प्रक्रिया :

### 1. ऑनलाइन आवेदन :

- ◆ प्राथमिक रूप में आवेदन ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किये जाते हैं ।
- ◆ ऑनलाइन आवेदन कॉमन सर्विस केन्द्रों/साइबर कैफे/स्वयं के स्मार्ट फोन या कंप्यूटर आदि किसी भी माध्यम से विभागीय पोर्टल पर किये जा सकते हैं ।

### 2. ऑफलाइन आवेदन :

- ◆ ऐसे आवेदक जो ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने में सक्षम नहीं है, वे अपने आवेदन ऑफलाइन माध्यम से भी जमा करवा सकते हैं ।
- ◆ ऑफलाइन आवेदन खण्ड विकास अधिकारी/एसडीएम/जिला परिवीक्षा अधिकारी/उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा किये जा सकते हैं ।

## दिल्ली लाइली योजना ( दिल्ली )


दिल्ली लाइली योजना 2008 का मुख्य उद्देश्य बेटियों को लेकर नकारात्मक सोच में सुधार लाना है। इस योजना के माध्यम से दिल्ली सरकार द्वारा बेटों के जन्म होने से लेकर उनको बारहवीं कक्षा में प्रवेश लेने तक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। जिससे कि उनको शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी मदद मिल सके। इस योजना के माध्यम से ड्रॉपआउट रेट में गिरावट आएगी तथा भ्रूण हत्या जैसे अपराध को भी रोक लगाने में मदद मिलेगी तथा इसके माध्यम से दिल्ली की बालिकाएं सशक्त एवं आत्मनिर्भर बन सकती हैं।

### पात्रता

- ◆ आवेदक माता पिता दिल्ली के स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
- ◆ बालिका का जन्म दिल्ली में होना अनिवार्य है।
- ◆ बालिका के परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रु या फिर उससे कम होनी चाहिए।
- ◆ इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए बालिका मान्यता प्राप्त स्कूल में पंजीकृत होनी चाहिए।
- ◆ इस योजना का लाभ एक परिवार की केवल 2 बेटियां ही उठा सकती हैं।

### लाभ :

- ◆ अस्पताल में जन्म लेने पर 11000 रु या घर जन्म लेने पर 10000 रु बशर्ते लड़की का जन्म पिछले एक साल में हुआ हो ।
- ◆ पहली कक्षा में प्रवेश लेने पर 5000 रु
- ◆ छठी कक्षा में प्रवेश लेने पर 5000 रु
- ◆ 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर 5000 रु
- ◆ 10वीं कक्षा पास करने पर 5000 रु
- ◆ 12वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर 5000 रु



**ऑफलाइन आवेदन :** स्कूल में पंजीकरण करवाया जाता है।

## परिवहन योजनाएं

### निःशुल्क साइकिल वितरण योजना ( राजस्थान )

**विवरण :** राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2007-08 ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर तक की कक्षा में अध्ययन हेतु सामान्य दूरी से अधिक दूरी तय करने की समस्या को दूर करने हेतु यह योजना शुरू की गयी। जिसके अंतर्गत लाभार्थियों को निर्धारित अंशदान जमा करने पर सरकार द्वारा एक नयी साइकिल उपलब्ध कराई जाती है। यह योजना शत-प्रतिशत राज्य प्रवर्तित योजना है तथा राज्य के समस्त जिलों में क्रियान्वित है।

**पात्रता :** बालिका किसी राजकीय माध्यमिक विद्यालय में 9वीं कक्षा में अध्ययनरत होनी चाहिए।

**लाभ :** योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 100 रु का अंशदान जमा कराने पर नयी साइकिल प्रदान की जाती है।

**आवेदन प्रक्रिया :** छात्राओं को अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को आवेदन करना होता है।

**नोडल विभाग :** माध्यमिक शिक्षा विभाग

### मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना ( बिहार )

**विवरण :** बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की दृष्टि से मुख्यमंत्री बालिका साइकिल वितरण योजना वर्ष 2007-8 से संचालित है। यह योजना उन गरीब छात्राओं के कल्याण के लिए है, जिन्हें दूरी के कारण स्कूल जाने में मुश्किलें होती हैं।


**लाभ :** साइकिल खरीदने के लिए अनुदान अभिभावक के बैंक अकाउंट में आता है।

**पात्रता :** छात्रा बिहार की निवासी होने के साथ साथ सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत हो तथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण कर रखी हो।

**आवेदन प्रक्रिया :** छात्राओं को आपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को आवेदन करना होता है।

### श्रमिक छात्रा साइकिल योजना ( उत्तर प्रदेश )

**विवरण :** उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा श्रमिक छात्राओं के शैक्षणिक स्तर को सुधारने और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए यह योजना लागू की गयी है। योजना के माध्यम से जो श्रमिक हैं और जिनके 10वीं और 12वीं कक्षा में 50 प्रतिशत से ज्यादा अंक हैं उन्हें साइकिल वितरित किये जाने का प्रावधान है।



### उद्देश्य :

- ♦ योजना का मुख्य उद्देश्य शैक्षणिक स्तर को बढ़ावा देकर छात्राओं को प्रेरित करना है।
- ♦ छात्राएं आत्मनिर्भर बनेगी व उनके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी।
- ♦ परिवार में अधिकतम 2 बेटियों को योजना का लाभ दिये जाने का प्रावधान है।

### पात्रता :

- ♦ उत्तर प्रदेश राज्य के स्थायी निवासी।
- ♦ श्रमिक वर्ग की छात्राएं।
- ♦ 10वीं/12वीं में 50 प्रतिशत लाने वाली छात्राएं।

**लाभ :** साइकिल प्रदान की जाती है।

**आवेदन कैसे करे :** लाभार्थी को उप-श्रम आयुक्त कार्यालय में जाना होगा और वहां से फॉर्म लेकर उसे भरने के बाद अधिकारी के पास जमा करवाना होता है।

## गुजरात सरस्वती साधना योजना

**विवरण :** सरस्वती साधना योजना वर्ष 2019 में शुरू की गयी। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति की 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को सरस्वती साधना योजना के तहत मुफ्त साइकिल दिये जाने का प्रावधान है।

### पात्रता :

- ♦ आवेदन करने वाली छात्रा गुजरात राज्य की मूल निवासी होनी चाहिए।
- ♦ इस योजना के तहत केवल उन्हीं छात्राओं को शामिल किया जाता है जिनका विद्यालय निवास स्थान से काफी दूर है।
- ♦ छात्रा द्वारा केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा शिक्षा से संबंधित किसी भी योजना के अंतर्गत लाभ ना लिया गया हो।
- ♦ इस योजना के तहत केवल अनुसूचित जाति की छात्राएं ही शामिल है।
- ♦ शहरी क्षेत्रों में पढ़ने वाली छात्रा के परिवार की आय 1.20 लाख रु सालाना से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा उसके परिवार के पास गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल राशन कार्ड होना चाहिए।
- ♦ छात्रा किसी भी सरकारी विद्यालय में पढ़ रही हो।

### लाभ :

- ♦ योजना के माध्यम से छात्राओं को मुफ्त साइकिल दी जाती है जिसका प्रयोग वे अपने विद्यालय तथा कॉलेज जाने के लिए कर सकती हैं।

**आवेदन प्रक्रिया :** प्रधानाध्यापक को आवेदान करना होता है

**नोडल विभाग :** सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग गुजरात



## स्वास्थ्य सम्बंधित योजना

### में हूँ शक्ति उड़ान योजना

**विवरण :** वर्ष 2021 में राजस्थान सरकार द्वारा राज्य की छात्राओं/किशोरियों के साथ सभी महिलाओं को मुफ्त में सेनेटरी नैपकिन वितरित करने हेतु उड़ान योजना लागू की गयी ताकि ये स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति जागरूक हो सकें।

**उद्देश्य :** राज्य सरकार द्वारा सभी महिलाओं को शारीरिक स्वच्छता हेतु जागरूक करने के उद्देश्य से उड़ान योजना शुरू की गयी। जिसमें सभी महिलाओं को निशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरित किये जाते हैं, जिससे उनका कई रोगों से बचाव होने के साथ स्वास्थ्य बेहतर हो सके।

### क्रियान्वयन :

- ◆ इस योजना की जानकारी देने के लिए महिला स्वयं सहायता समूह तथा गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा समय-समय पर अलग-अलग जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे ताकि सभी महिलाएं को इस योजना की जानकारी मिल सके।
- ◆ योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी अलग-अलग विभागों को दी गई है। जिसमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्कूल, कॉलेज, शिक्षा विभाग, तकनीकी, उच्च शिक्षा विभाग, जनजातीय क्षेत्रीय विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग आदि इस योजना के क्रियान्वयन जिम्मेदार हैं।

**पात्रता :** इस योजना की लाभार्थी राज्य में मूल रूप से रहने वाली सभी महिलाओं महिलाएं, छात्राएं/ किशोरियां होंगी।

**आवेदन प्रक्रिया :** महिला, छात्रा/किशोरी निशुल्क सैनिटरी नैपकिन राज्य के किसी भी स्कूल, कॉलेज एवं आंगनवाड़ी केंद्रों से प्राप्त कर सकती हैं।



**हेल्पलाइन नंबर :** राजस्थान सरकार ने निशुल्क सेनेटरी नैपकिन योजना से संबंधित शिकायत के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। अतः योजना से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी या शिकायत के लिए इस नंबर पर कॉल किया जा सकता है।

**नोडल विभाग :** महिला एवं बाल विकास विभाग

### महिला एवं किशोरी सम्मान योजना (हरियाणा)

**विवरण :** हमारे देश की महिलाओं में स्वास्थ्य एवं शारीरिक स्वच्छता को लेकर जागरूकता का अभाव है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार द्वारा 5 अगस्त 2020 को यह योजना आरम्भ की गयी।





**उद्देश्य :** इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को मुफ्त में सेनेटरी नैपकिन प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं में मासिक धर्म सम्बन्धी स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ेगी तथा बिमारियों से छुटकारा मिलेगा।

**पात्रता :** इस योजना का लाभ केवल गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली हरियाणा की मूल निवासी 10 से 45 वर्ष तक की महिलाएं एवं किशोरीयां उठा सकती हैं।

**आवेदन प्रक्रिया :** हरियाणा सरकार ने योजना के तहत कोई भी आवेदन प्रक्रिया नहीं जारी की है। इस योजना के अंतर्गत स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन स्कूल के माध्यम से तथा महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं।

### किशोरी सुरक्षा योजना (उत्तर-प्रदेश)

**विवरण :** वर्ष 2015-16 में, उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया है कि महिला स्कूली छात्रों में से हर महीने मासिक धर्म के दौरान उनकी कक्षाएं/स्कूल छूट जाते हैं। इस अनियमितता को रोकने के लिए राज्य सरकार ने यह योजना शुरू की है। इस योजना के तहत छात्राओं को राज्य सरकार की ओर से सैनिटरी नैपकिन वितरित किये जायेंगे ताकि वे उन 5 दिनों के दौरान साफ रह सकें एवं वे नियमित रूप से अपने स्कूलों में जा सकें। राज्य मंत्रालय के अनुसार, प्रत्येक लड़की को हर महीने एक पैकेट में 10 सैनिटरी नैपकिन मिलते हैं।

**उद्देश्य :** इस योजना के अंतर्गत स्कूल के शिक्षकों और स्टाफ सदस्यों के लिए कार्यशालाएं भी आयोजित की जाती हैं। इससे शिक्षकों को अपने छात्रों और उनके परिवारों को मासिक धर्म के बारे में सही तथ्य बताने में मदद मिलती है। ये कार्यशालाएं जिला स्तरीय स्कूलों में दी जाएंगी ताकि ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राएं अंधविश्वास की जगह मासिक धर्म का वैज्ञानिक अर्थ समझ सकें। यह योजना कई लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी लाएगी। एक ग्रामीण संगठन 'दिशा' छात्रों को मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन देने के लिए सैनिटरी नैपकिन का उत्पादन करेगा।

**पात्रता :**

- ◆ इस योजना के तहत 11 वर्ष से 18 वर्ष की आयु की छात्राएं कवर होंगी।
- ◆ सरकारी स्कूलों की 6वीं से 12वीं तक की छात्राएं।
- ◆ जो लड़कियां कम आयु वर्ग की हैं और दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हो।

**आवेदन प्रक्रिया :** इस योजना के तहत कोई भी आवेदन प्रक्रिया जारी नहीं की गयी है। छात्राओं को सेनेटरी नैपकिन स्कूल के माध्यम से प्रदान किये जाते हैं।


## राजस्थान की योजनाओं से संबंधित दो उपयोगी पोर्टल

### जन सूचना पोर्टल राजस्थान

राजस्थान सरकार द्वारा जन सूचना पोर्टल की शुरुआत दिनांक 13 सितम्बर, 2019 को की गयी। राजस्थान सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी एवं अन्य विभागों ने मिलकर जन सूचना पोर्टल को तैयार किया है। जन सूचना पोर्टल के बनने में कई सारे जन संगठनों एवं समाज सेवियों का भी योगदान रहा है। इस पोर्टल पर राज्य में चल रही किसी भी योजना के लाभार्थी अपने आवेदन की स्थिति तथा लाभ आदि की सूचना घर बैठे अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर पर देख सकते हैं तथा इसके लिए मोबाइल एप भी बनायीं गयी है जिसे अपने मोबाइल पर डाउनलोड किया जा सकता है। जन सूचना पोर्टल पर योजनाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वेबसाइट पर जाएं—  
[jansoochna.rajasthan.gov.in](http://jansoochna.rajasthan.gov.in)

### जन कल्याण पोर्टल राजस्थान

राज्य में जन कल्याण पोर्टल सरकार द्वारा दिनांक 18 दिसंबर 2020 को शुरू किया गया। जन कल्याण पोर्टल को राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग तथा योजना विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। इस पोर्टल पर प्रदेश के नागरिक राजस्थान में संचालित किसी भी योजना के बारे में जानकारी जैसे आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, लाभ आदि को देख सकते हैं। राज्य की जनता की सरकारी योजनाओं तक पहुँच बढ़ने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। राजस्थान सरकार की योजनाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वेबसाइट पर जाएं—  
[jankalyan.rajasthan.gov.in](http://jankalyan.rajasthan.gov.in)





**बजट अध्ययन राजस्थान केंद्र**  
(आस्था की इकाई)

प्लॉट नं. -२, रूप नगर, हरि मार्ग, सिविल लाइन्स, जयपुर, राजस्थान, भारत- 302006

फोन / फ़ैक्स - 0141- 2740073

E-Mail : [info@barcjaipur.org](mailto:info@barcjaipur.org) | Website: [www.barcjaipur.org](http://www.barcjaipur.org)